बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001

दूरभाष / **Phone : -** +91-612-2222622 फैक्स नं० / **Fax No:** - 0612-2506218

CIN: U63040BR1980SGC001486, **Web:** www.bstdc.bihar.gov.in **E-mail:** contactbstdc@gmail.com

BSTDC

संचिका सं॰–02/42/वि॰/स्था॰/14–15/पार्ट–2/1820/24 दिनांकः 05.07.2024

विज्ञप्ति

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यपालक अभियंता (असैनिक) एवं सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत कर्मी को संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन :–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2804 दिनांक–29.03.10 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत इच्छुक कार्यपालक अभियंता (असैनिक) एवं सहायक अभियंता (असैनिक) से विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत पदों की सं.	धारित योग्यता
1	**कार्यपालक अभियंता (असैनिक)**	**01**	**बिहार सरकार के कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत अभियंता।**
2	**सहायक अभियंता (असैनिक)**	**02**	**बिहार सरकार के सहायक अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत अभियंता।**

1.संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा संविदा पर रहने की अधिकतम उम्र सीमा 67 वर्ष होगी जो आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा ।
2. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद अवशेष राशि होगा।
3. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने के स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
4. नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के सम्बन्ध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
5. नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी, कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा नियोजन रद्द् की जा सकेगी।
6. नियोजन में कम से कम 05 वर्षो तक भवन निर्माण संबंधी कार्य किये सेवानिवृत्त अभियंता को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. निम्नांकित कर्मियों की सेवाएं नहीं ली जायेगी :–

   (क) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा है।
   (ख) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है।
   (ग) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
   (घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।
   (**नोट** :– क्रमांक ''**क**'' से ''**घ**'' तक के संबंध में शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा)

8. सेवानिवृत्त इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक–20.07.2024 के पूर्वाह्न **10:30** बजे तक निगम कार्यालय गुरूनानक भवन, सिख हेरिटेज दरोगा राय पथ, पटना–800001 के तृतीय तल पर स्थापना शाखा में अपना आवेदन निबंधित/हाथों–हाथ समर्पित कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन के साथ पी0पी0ओ0 (यदि निर्गत हो) अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र एवं सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
10. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

ह0/–
प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लि0, पटना।

विहित प्रपत्र

1 आवेदक का नाम ....

2 पद का नाम ....

3 विभाग/कार्यालय का नाम
(जहाँ से सेवानिवृत हुए हैं) ....

4 जन्म तिथि ....

5 सेवानिवृति की तिथि ....

6 अंतिम प्राप्त वेतन (यदि कोई हो) ....

1. वेतनमान ....
2. मूल वेतन ....
3. ग्रेड पे ....

7 सेवानिवृति को धारित पद एवं उक्त पद का कार्यानुभव ....

8 भवन निर्माण से संबंधी किये गये कार्य का कार्यावधि एवं विभाग ....

9 पेंशन स्वीकृति की स्थिति ....

1. पी॰पी॰ओ॰ न॰ ....
2. स्वीकृत ....
3. स्वीकृत नहीं ....
4. औपंबधिक स्वीकृत
(सही का निशान लगावें तथा आदेश की प्रति संलग्न करें) ....

पेंशन की स्वीकृत राशि ....

10 पेंशन+मंहगाई सहत आदि (कुल जोड़कर) ....

11 सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में आरोप/विभागीय कार्यवाही की स्थिति ....

12 आरक्षण कोटि

(1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति (3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग
(5) पिछड़ा वर्ग (महिला) (6) सामान्य (सही का निशान लागवे)

13 आरोप के निष्पादन की स्थिति /अधिरोपित दण्ड का विवरण ....

14 वर्तमान पता (मोबाइल नं॰ के साथ) ....

15 स्थायी पता ....

16 आवेदक द्वारा समर्पित सभी अभिलेख अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।

17 घोषण पत्र
एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदिवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर